राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 778/2006/अजमेर.

मैसर्स श्रीगोपाल प्रोडक्ट्स,
तालेड़ा मार्केट, पीपलिया बाजार, ब्यावर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. सदस्य सचिव, जिला स्तरीय छानबीन समिति, अजमेर
2. कलेक्टर, अध्यक्ष, जिला स्तरीय छानबीन समिति (सेल्स टैक्स).
3. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अजमेर. .....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 2203/2006/अजमेर.

मैसर्स के. एम. वूलन मिल्स (प्रा0) लिमिटेड, ब्यावर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. अध्यक्ष, जिला स्तरीय छानबीन समिति, अजमेर.
2. जिला स्तरीय छानबीन समिति, अजमेर.
3. वाणिज्यिक कर अधिकारी, ब्यावर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अरिंजय जैन, कर सलाहकार .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 24/08/2017

निर्णय

1. उक्त दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें चैयरमेन, सदस्य सचिव, जिला स्तरीय छानबीन समिति, अजमेर एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी, अजमेर/ब्यावर को प्रतिवादी बनाया गया है। प्रस्तुत अपीलों में अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा मुख्य रूप से इस बिन्दु को विवादित किया गया है कि बिक्री कर आस्थगन योजना, 1998 के लिये उन्हें पात्रता की दी गयी अवधि 13 वर्ष किये जाने की मांग को जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा विचार नहीं किये जाने को न्याय विरूद्ध बताते हुए जिला स्तरीय छानबीन समिति को यह निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया गया है कि वे प्रार्थना–पत्रों को पुनः जांचकर इसमें 11 वर्ष के स्थान पर 13 वर्ष की अवधि हेतु लाभ देने का आदेश करें।

2. अपीलार्थी व्यवहारीगण की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि उन्हें 13 वर्ष के लिये लाभ दिया जाना चाहिये था, परन्तु जारी किये गये पात्रता प्रमाण–पत्र में केवल 11 वर्ष का ही लाभ दिया गया है एवं अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.02.1999 को इस सम्बन्ध में जिला स्तरीय छानबीन

लगातार.....2

समिति के समक्ष पत्र देकर इस लाभ की समयावधि 13 वर्ष किये जाने का निवेदन किया गया था परन्तु उनके द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, इसके पश्चात् पुनः दिनांक 06.02.2004 को पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया, अतः इस सम्बन्ध में निर्णय लेने का आदेश देने का अनुरोध किया गया।

3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारीगण को बिक्री कर आस्थगन योजना, 1998 में लाभ देने हेतु जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा विधिसम्मत रूप से निर्णय लेते हुए उनके द्वारा आवेदित सम्पूर्ण राशि पर पात्रता प्रमाण—पत्र क्रमशः दिनांक 12.01.1999 व 23.01.1999 को जारी कर दिये गये थे जिनमें जिला स्तरीय छानबीन समिति अजमेर द्वारा बैठक दिनांक 15.12.98 को निर्णय किया जाकर उन्हें आस्थगन योजना का लाभ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृति के आधार पर वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा 11 वर्ष के लिये आवेदित राशि क्रमशः रूपये 52.78 लाख व 142.26 लाख का लाभ दिये जाने के प्रमाण—पत्र जारी किये गये थे। उक्त प्रमाण—पत्र जारी करने के पश्चात् इकाई द्वारा दिनांक 11.02.1999 को जिला उद्योग केन्द्र में पत्र दिया जाकर 1999 के जारी प्रमाण—पत्रों में अवधि को बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया था, किन्तु सदस्य सचिव, जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा उक्त प्रार्थना—पत्रों को जिला स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर स्वयं के स्तर पर प्रार्थना—पत्रों को समयावधि बाधित मानते हुए अस्वीकार करते हुए इसकी सूचना अपीलार्थी व्यवहारीगण को दे दी गयी, जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलों का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा लाभ की अवधि को बढ़ाने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना—पत्र नियत समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत किये जाने के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा अस्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थीगण की अपीलें अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं उद्योग विभाग द्वारा प्रेषित पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

लगातार.....3

5. अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलों में यह मांग की गयी है कि जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा आस्थगन योजना के तहत जो प्रमाण—पत्र जारी किये गये थे उनमें लाभ लिये जाने की अवधि 11 वर्ष अंकित की हुई थी एवं उक्त पात्रता प्रमाण—पत्र हेतु जिला स्तरीय छानबीन समिति से स्वीकृति दिनांक 12.01.99 को जारी की की गई थी एवं उसके अनुसरण में वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा पात्रता प्रमाण—पत्र जारी कर दिये गये थे उसके पश्चात् इकाई द्वारा दिनांक 11.02.99 को उद्योग विभाग में प्रस्तुत कर पूर्व में दी गयी पात्रता प्रमाण—पत्र में आस्थगन योजना के लाभ की अवधि 11 वर्ष से 13 वर्ष किये जाने का अनुरोध करते हुए दिये गये निर्णय में संशोधन किये जाने का आवेदन किया गया था। उक्त प्रार्थना—पत्रों को सदस्य सचिव, जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जिला स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाकर, स्वयं के स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि आस्थगन योजना के बिन्दु संख्या 7(ए)(बी) के अनुसार रिव्यू व रेक्टिफिकेशन हेतु 90 दिन की अवधि में प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः समयावधि पार है एवं इस बाबत अपीलार्थी इकाई को भी सूचित कर दिया गया।

6. उक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना—पत्रों को सदस्य सचिव, जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा अपने स्तर पर निस्तारित कर दिये गये, जो कि स्पष्ट रूप से विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध है। इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र नियमानुसार जिला स्तरीय छानबीन समिति की बैठक में निस्तारित किया जाना चाहिये था, जबकि हस्तगत प्रकरणों में इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र जिला स्तरीय छानबीन समिति की बैठक में प्रस्तुत ही नहीं किये गये हैं। साथ ही प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष जिला स्तरीय छानबीन समिति का कोई आदेश विवादित नहीं है, अतः अपीलार्थी इकाईयों द्वारा प्रस्तुत अपीलें प्रथमतः चलने योग्य ही नहीं हैं, किन्तु न्यायहित में एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में दोनों प्रकरण सदस्य सचिव, जिला स्तरीय छानबीन समिति, अजमेर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त दोनों प्रकरण जिला स्तरीय छानबीन समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत करें।

7. परिणामस्वरूप उपरोक्तानुसार दोनों प्रकरण निस्तारित किये जाते हैं।

8. निर्णय सुनाया गया।

24/8/17

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

24/8/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य